न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 68/2025

ऑनलाईन नम्बर 2025/138

निर्णय दिनांक 23.09.2025

जगू राम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम।</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या नया 437 खसरा नम्बर 173 तादादी 0.5000 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 223 तादादी 3.1400 हैक्टेयर बारानी व खाता संख्या नया 438 खसरा नम्बर 1862/172 तादादी 2.5400 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1864/646 तादादी 3.1800 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1868/727 तादादी 3.3300 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1870/1279 तादादी 2.9700 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी खेतो में वादी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्थित है। वादगत खेतो में अपने हिस्से पांति की कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का नाम जगू राम है वादी के पारिवारिक राशन कार्ड में, मतदाता पहचान पत्र में, आधार कार्ड में जन आधार कार्ड में, बैंक पासबुक व जॉब कार्ड में व अन्य सरकारी दस्तावेजो में वादी का नाम जगू राम दर्ज चला आ रहा है वादी को गांव में व समाज में जगू राम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है लेकिन वादगत खेत खसरा नम्बर 173 व 223 रोही शेरूणा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जगाराम दर्ज चला आ रहा है, जो गलत दर्ज चला आ रहा हैं व खेत खसरा नम्बर 1862/172 व 1864/646 व 1868/727 व 1870/1279 रोही शेरूणा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जगराम दर्ज चला आ रहा है, जो गलत दर्ज चला आ रहा है। वादगत खेतो में विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय भुलवंश वादी का नाम जगाराम व जगराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया गया वादी का सरकारी दस्तावेजों में जगूराम नाम दर्ज चला आ रहा है लेकिन केवल वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जगाराम व जगराम दर्ज चला आ रहा है जो गलत दर्ज चला आ रहा है. वादी का सही नाम जगू राम है। वादी वादगत खेतों पर कृषि ऋण लेना चाहता है जिसके लिये वादी ने ऋण लेने के लिये बैंक से माह मार्च 2025 में सम्पर्क किया तो बैंक द्वारा वादी को कहा गया कि आपके खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में आपके पहचान सम्बंधित दस्तावेजो के अनुसार नहीं है इसलिये आपका कृषि ऋण का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा, पहले आप आपके खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम आपके पहचान सम्बंधी दस्तावेजों के अनुसार सही करके [illegible] तभी हम आपको कृषि ऋण दे सकते है। वादी वादगत खेतों के राजस्व [illegible] गलत नाम दर्ज होने के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना [illegible] नहीं कर सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ादी ने दिनांक 27.03.2025 को वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जगू राम दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के लिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से निवेदन किया लेकिन तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आओ तभी हम आपके खेतो के राजस्व रिकॉर्ड मे आपका सही नाम जगू राम दर्ज कर सकते हैं अन्यथा नही यही दावे का हेतू हैं दावे का आधार वादी का वादगत खेतो पर कब्जा काश्त व वादी वादगत खेतो में खातेदार होने से प्राप्त हैं। वादी का सही नाम जगू राम हैं वादगत खेतो में वादी का सही नाम दर्ज करवाने के लिए वादी के पास दावा पेश करने के अलावा कोई चारा नही हैं व वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का सही नाम जगू राम दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाना आवश्यक हैं। वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड का संधारण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा किया जाता हैं इसलिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को पक्षकार बनाया गया हैं वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने का कार्य तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा ही किया जाना हैं। वादी को अपने वादगत खेतो में कृषि ऋण तुरन्त लेना हैं तुरन्त कृषि ऋण नही मिलने से वादी को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा हैं वादी अपने कृषि भूमि का समुचित उपयोग नही कर पा रहा हैं इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के विरूद्ध दावा पेश करने के लिये धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं नोटिस मे समय लगेगा जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान होगा इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं तथा वादगत खेतो में वादी के नाम में संशोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा फिर भी कानूनी प्रावधानो के मध्यनजर रखते हुये धारा 80 सी पी सी के तहत छूट का प्रार्थना पुत्र दावा के साथ में प्रस्तुत है । ऐसी स्थिति मे धारा 80 सी पी सी के नोटिस के अभाव में दावा पेश करने के लिये धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर दावा प्रस्तुत करने कि अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं। वादगत खेत रोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है इसलिये यह दावा श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन किया गया हैं कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) यह घोषित किया जावे कि वादी का नाम जगू राम हैं तदनुसार वादगत खेत खाता संख्या नया 437 खसरा नम्बर 173 तादादी 0.5000 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 223 तादादी 3.1400 हैक्टेयर बारानी व खाता संख्या नया 438 खसरा नम्बर 1862/172 तादादी 2.5400 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1864/646 तादादी 3.1800 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1868/727 तादादी 3.3300 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1870/1279 तादादी 2.9700 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जगू राम दर्ज किया जावे।

(ख) यह कि वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जगू राम दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) यह कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से [illegible] ने जवाब [illegible] पेश किया गया। वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ओर से साक्ष्यवादी में जगूराम का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी की ओर से दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खाता संख्या नया 437 खसरा नम्बर 173 तादादी 0.5000 हैक्टेयर वारानी व खसरा नम्बर 223 तादादी 3.1400 हैक्टेयर वारानी व खाता संख्या नया 438 खसरा नम्बर 1862/172 तादादी 2.5400 हैक्टेयर वारानी व खसरा नम्बर 1864/646 तादादी 3.1800 हैक्टेयर वारानी व खसरा नम्बर 1868/727 तादादी 3.3300 हैक्टेयर वारानी व खसरा नम्बर 1870/1279 तादादी 2.9700 हैक्टेयर वारानी वाकेरोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जगू राम घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसलीदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ़

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

जगू राम पुत्र जैसाराम. जाति जाट निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला- बीकानेर।

बनाम

तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 68/2025
दावा बाबतः घोष्णात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक 23.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खाता संख्या नया 437 खसरा नम्बर 173 तादादी 0.5000 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 23 तादादी 3.1400 हैक्टेयर बारानी व खाता संख्या नया 438 खसरा नम्बर 1862/172 तादादी 2.5400 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1864/646 तादादी 3.1800 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1868/727 तादादी 3.3300 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 1870/1279 तादादी 2.9700 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जगू राम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।**

लीज....0......मुबलिग......0.......बाबत......0........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरहे...0..फीसदी सालाना आज को जारी.......... तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 09 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:00:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ